REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 1075]
 नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939

 No. 1075]
 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

## आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

**का.आ. 1216(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भूसंपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थातु:—

क्रम सं. धारा

- 1. धारा 3 से धारा 19
- 2. धारा 40
- 3. धारा 59 से धारा 70
- 4. धारा 79 से धारा 80

[फा. सं. ओ-17034/275/2017-एच]

राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION NOTIFICATION

## New Delhi, the 19th April, 2017

**S.O. 1216(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of May, 2017 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

- Sl. No. Section
  - 1. Section 3 to 19
  - 2. Section 40
  - 3. Section 59 to 70
  - 4. Section 79 to 80

[F. No. O-17034/275/2017-H] RAJIV RANJAN MISHRA, Jt. Secy.

2616 GI/2017